Research Journal of Language, Literature and Humanities _____E-ISSN 2348-6252
Vol. **8(2),** 37-44, May **(2021)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

कोविड-19 का बिहारी (भारत) प्रवासी मजदूरो (स्लम) पर आर्थिक प्रभाव

इन्द्राणी सिन्हा
गृह विज्ञान; मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत
indranisinha778@gmail.com

Available online at: www.isca.in, www.isca.me
Received 3rd November 2020, revised 8th March 2021, accepted 9th April 2021

शोध सार

कोरोना वायरस दिसंबर 2019 से पूरे विश्व में चल रहा है। बिना पूरी पूर्व तैयारी के भारत ने दिनांक 24.03.2020 के रात्रि में अचानक दिनांक 25.03.2020 से 21 दिनों के लिए लाकडाउन लगाया, जिसे 31.05.2020 तक के लिए बढ़ाया गया एव आदेश दिया कि जो जहां है, जिस हालत में है, वह उसी हालत में वही रहेंगे। इसमें सभी परिवहन सेवाएं, संस्थान एवं फैक्ट्री बंद कर दिए गए, जिससे प्रवासी मजदूरों के बकाया वेतन, चालु वेतन, दिहाड़ी भी नहीं मिले और वे भूखे रहने लगे। उनका घर लौटना भी असंभव हो गया। वे मुख्यतः पैदल, साइकिल या ठेला से अपने गठरी/ सामानो को, बूढों को एव माता-पिता को अपने कंधों पर लादकर अपने घर आने के लिए मजबूर हुए। बाद में बस और रेल भी चली, परंतु उसका उपयोग अधिकांश प्रवासी नहीं कर सके। अधिकांश प्रवासी मजदूर बेरोजगार बैठे हैं या छोटे-मोटे काम करते हैं, जिससे उस मानव संसाधन का देश की प्रगति में उचित उपयोग नहीं हो रहा है और मजदुरो की आर्थिक स्थिति भी दयनीय है, जो देश की गम्भीर समस्या है। उन्हे उचित व्यवस्था देने एव/या उन्हे उन्ही के छेत्र मे नियोजित करने की जरुरत के साथ ही खेती को लाभकारी बनाने की जरुरत है।

शब्द कुंजियां: सरकार के द्वारा दिए गए सामग्री, विभिन्न पत्रिकाए, के साथ संबंधित पूरा सर्वे सरकार ने नहीं करवाया, इसलिए मीडिया आदि का भी उपयोग करना पड़ा है।

प्रस्तावना

हिंदी भाषा में विदेशी शब्द "स्लम" को धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। इससे टूटे-फूटे निवास, गंदी जगहों पर विभिन्न के परिवारों के झुंड में रहने वाले लोगों का परिदृश्य सामने आता है। साधारणतः दूसरे के घरों में चौका-बर्तन करने वाले, झाड़ू-पोछा लगाने वाले, बोझ उठाने वाले नाले, बाथरूम की सफाई करने वाले, अधिकतर दूसरे के घरों अन्य कार्य करने वाले लोग होते हैं। प्रायः वे औद्योगिक तकनीकी जानकारियां नहीं रखते हैं या अल्प जानकारियां रखते हैं, फिर भी किसी-किसी संस्थानों में भी कार्य करते हैं। वे आवास पर खर्च करना नहीं चाहते हैं और सरकारी या परित्यक्त जमीनों पर स्थित स्लम में धड़ल्ले से निवास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ[1] के आधार पर वैसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो शहर में एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और जिन्हें स्थाई संरचना का घर या समुचित क्षेत्रफल वाला घर या उचित स्तर के पीने का पानी या उचित स्तर का शौचालय या उचित सुरक्षित कार्यकाल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, वे स्लम निवासी कहलाते हैं।

भारत में मिस्टर प्रणव सेन कमेटी[2] का रिपोर्ट दिनांक 30.08.2010 की मान्यता दी जाती है जिसके अनुसार स्लम एक संकुचित क्षेत्र है, जहां कम से कम 20 अस्थाई घरनुमा सरंचना में भीड़-भाड़ (अत्यधिक) जनसंख्या रहती है और शौचालय/ पीने का पानी की स्वास्थ्यकर व्यवस्था नही होती है।

भारत में दिल्ली और मुंबई भारतीय मजदूरों का मैग्नेट कहलाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश मजदूर वहां जाकर शहरों के स्लम मे निवास कर उन शहरों का विकास करते हैं। जनगणना के आधार पर सन् 2001 में 25.9 करोड़ और सन् 2011 में 45.6 करोड़ प्रवासी मजदूरों की जनसंख्या थी। सन

2001 के पूर्व के प्रवासी मजदूरों की अलग से जनगणना उपलब्ध नहीं है। इस तरह स्पष्ट है कि 10 वर्षों में 19.7 करोड प्रवासी मजदूर बढ़े। स्पष्ट है कि शहरों की जनसंख्या ग्रामों की जनसंख्या के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है। निश्चत रुप से ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर रही है, जो स्लम की संख्या एव जनसंख्या बढ़ने का कारण बनती है।

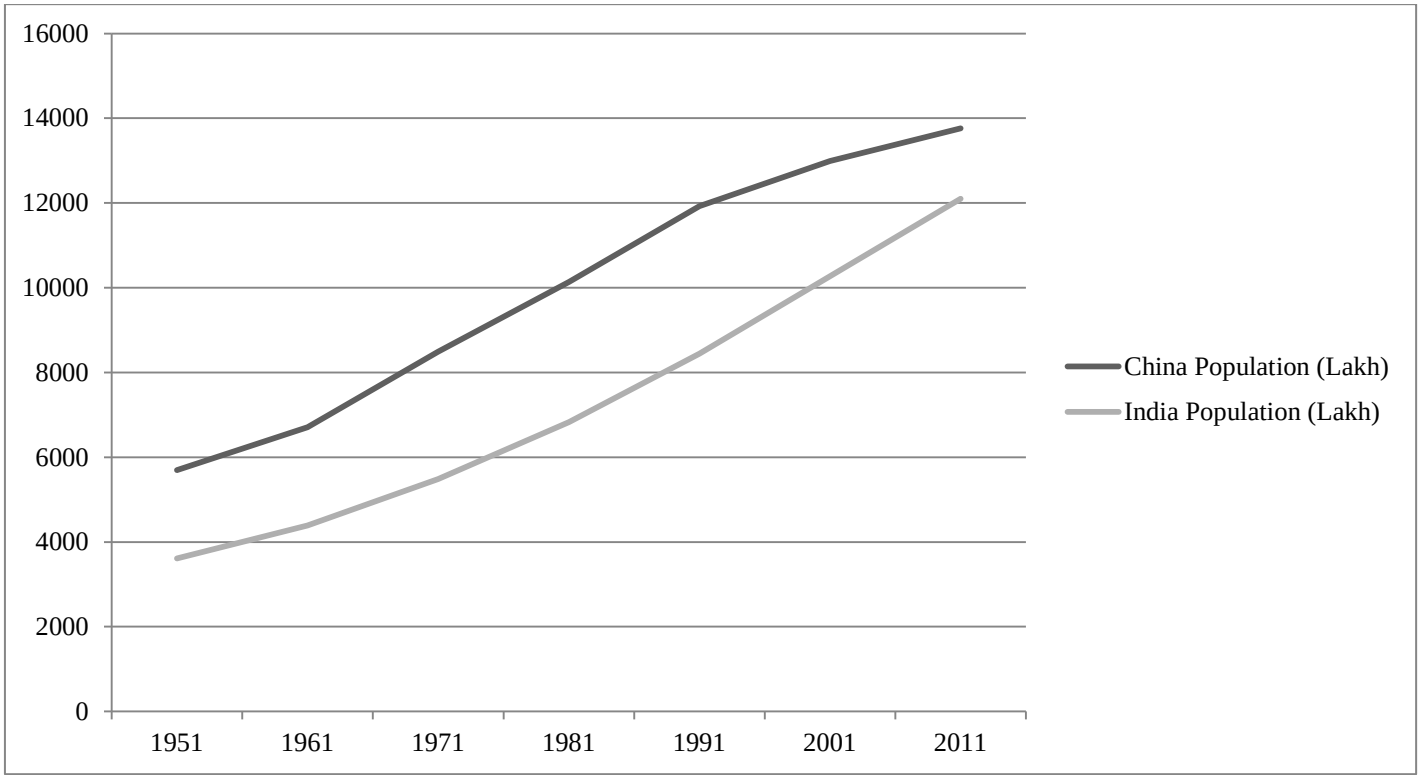

आकृति-1: भारत और चीन की जनसख्या[3]

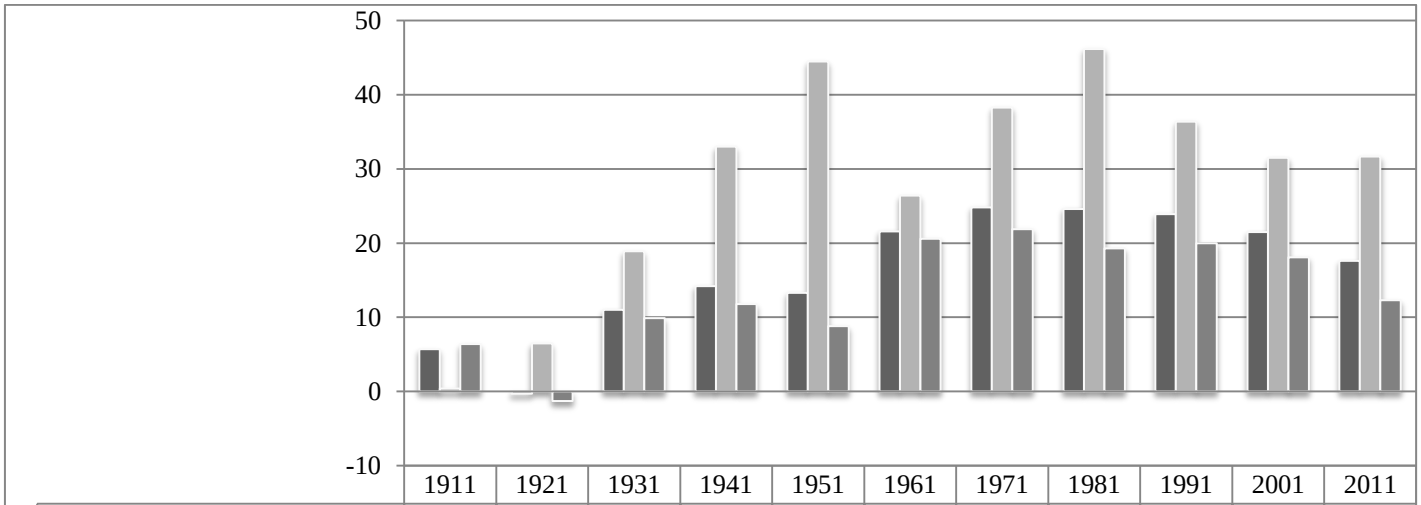

	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
Total Population Growth Rate	5.7	-0.3	11	14.2	13.3	21.6	24.8	24.6	23.9	21.5	17.6
Urban Population Growth Rate	0.38	6.5	18.9	33	44.5	26.4	38.3	46.2	36.4	31.5	31.7
Rural Population Growth Rate	6.4	-1.3	9.9	11.8	8.8	20.6	21.9	19.3	20	18.1	12.3

आकृति–2: भारत मे शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या[4]

सन् 2011 के जनगणना के अनुसार 45.36 करोड़ प्रवासी मजदूरों की जनसंख्या भारत में थी। इनमें से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के थे और कुछ मध्यप्रदेश और राजस्थान के भी थे। यह प्रवासी मजदूर शहरों में स्लम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। गरीब मजदूरों का शहर में अपने रोजगार के लिए जाना एक सहज सामाजिक प्रक्रिया है। वे जिस महानगर में जाते हैं, वहाँ मेहनत कर उस शहर को समृद्ध बनाते हैं। ग्राफ-01 से स्पष्ट है कि भारत की जनसख्या इस प्रकार बढ़ रही है कि वह आगामी 15-20 वर्षों मे चीन की जनसख्या से भी ज्यादा हो जायेगी और भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। आकृति- 024 से स्पष्ट है कि भारत मे शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से काफी तेजी से बढ़ रही है और् इस तरह शहरी स्लमो का निर्माण तेजी से हो रहा है, चुकि ग्रामीण जनसंख्या शहर मे तेजी से प्रवेश कर रही है।

कोविड-19 का जन्म स्थल और भारत में प्रवेश

चीन और चीन के समर्थक कुछ देशों को छोड़कर पूरा विश्व यह मानता है कि कोरोना वायरस का जन्म वुहान (चीन) में हुआ है, पर चीन का कहना है कि संभवत अमेरिकी सेना ने वुहान में कोरोना वायरस लाया है। जो भी हो, यह तो निश्चित है कि कोरना का सबसे पहले पता चीन में लगा।

चीन ने दिनांक 31.12.2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को सूचना दिया कि वुहान में निमोनिया महामारी फैली है। बाद में चीन ने इसका का नाम "नोबेल कोरोना वायरस" बताया, जिसका अस्थाई नाम "2019-N COV" दिया। इसे ही बाद में "COVID-19 वायरस" कहा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉ के. टेड्रोस अंधानोम ने चीन में इस बीमारी की तेजी से बढ़ने की सूचना संसार को देते हुए, इसे विश्व महामारी बताया, लेकिन उस दिन तक संसार के 114 देशों में 118,000 कोरना संक्रमित रोगी पाए जा चुके थे, जिसमें 42 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी थी।

दिनांक 11.04.2020 को लैन (चीन) ने लिखा कि वुहान (चीन) में ठंड का प्रभाव मैं लोग आसानी से आ जाते हैं। दिसंबर 2019 में जब उन्हें कुछ शारीरिक दिक्कत महसूस हुई तो वह घर पर आराम करने लगे। जब उनका वजन 3 किलो घट गया तो नजदीकी अस्पताल ने उन्हें विशेषज्ञ अस्पताल में भेज दिया। चीन ने इस वायरस के बारे में संभावित आपदा पर पिछले 13 वर्षों से दी जा रही चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया[5]।

भारत में 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 का पहला क़ेश केरल के त्रिशूर में मिला। शोधकर्ताओं के अनुसार 26 नवंबर और 25 दिस्बर 2019 के बीच चीनी यात्री के भारत में आने के कारण यह वायरस भारत में फैला नहीं है।

कोरोना से बचाव

यह वायरस किस प्रकार पैदा हुआ, अभी तक पता नहीं है एवं इसका कारगर दवा या वेक्सीन भी अनुपलब्ध है। यह रोग किस प्रकार होता है और कैसे फैलता है इसकी भी पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं है। संपर्क में आने से इस रोग के फैलने की संभावना व्यक्त की जाती है यदि, इस रोग की थोड़ी भी संभावना नहीं है। फिर भी छीकने से, खासने से, जोर से बोलने से निकलने वाले तरल बुंदो एवं शरीर के तरल पदार्थों के होने पर एकांतवास रहने एव विटामिन सी, एव ज़िंक खाने की सलाह दी जाती है। साधारण बचाव और फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने और (पहले 01 मीटर) 02 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने एव बार-बार साबुन से हाथ धोने की सलाह दी जाती है।

प्रवासी बिहारी मजदूरों की संख्या एवं पलायन का कारण

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉ अमिताभ कुंडू[6] के अनुसार देश में करीब 1.4 करोड़ अंतर राज्य प्रवासी मजदूर हैं। इनमें से करीब 4,000,000 अकेले सिर्फ बिहारी है। अंतर जिला प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी अधिक है। इकोनामिक सर्वे 2018-19 के अनुसार कुल वर्क-फोर्स करीब 45 करोड़ है जिसके 93 परसेंट अर्थात 41.85 करोड़ असंगठित क्षेत्र में है। नीति आयोग के अनुसार 85%, नेशनल सर्वे के अनुसार 90%, असंगठित क्षेत्र में प्रवासी मजदूर कार्यरत है। भूख से प्रभावित होने वाले 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 है। यही स्लम का मुख्य कारण बनता है। पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर प्रायः रुपए पैतीस सौ से लेकर □4000 प्रतिमाह कमाते हैं। उनमें एक मजदूरी करने वाले पर गरीब 4-5 व्यक्ति आश्रित रहते हैं। देश के प्रवासी मजदूरों में करीब 35-40% अकेले बिहारी होते हैं। असंगठित मजदूरों का न तो रजिस्टर निर्माण होता है और न

वह कंपनी खुद रजिस्टर्ड होती है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड भी होती है तो उन लोगों का नाम सरकार के पास नहीं भेजा जाता है। विगत जनगणना के आधार पर कुल आबादी का करीब 21% गरीबी रेखा के नीचे वालों की संख्या है। यह संख्या एव खेती का अलाभकारी होना ही प्रवासी मजदूरों की संख्या का निर्माण करता है।

भारत में कोरोना, लॉकडाउन/ अनलॉक एव् सरकारी राहत की विवेचना[7]

भारत मे केरल के त्रिशुर मे कोविड-19 का प्रथम केश जनवरी 2020 में मिला। 06 मार्च 2020 तक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच की व्यवस्था नहीं की गई थी। दि.11 जनवरी 2020 को 61 वर्षीय वुहान के नागरिक की मृत्यु हुई। दि. 03 फरवरी 2020 को केरल ने इसे राज्य-विपत्ति घोषित किया। दि. 04 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने चीनी लोग और चीन से होकर आने वाले विदेशियों पर प्रतिबंध लगाया। दि. 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का नाम "कोविड-19" दिया। दि. 27 फरवरी 2020 को भारत ने वुहान से अपने 759 भारतीयों एवं 43 विदेशियों को भारत लाया। दि. 02 मार्च 2020 को 45 वर्षीय एक दिल्ली नागरिक एवं 24 वर्षीय एक हैदराबाद नागरिक की मृत्यु हुई। दोनों लोग विदेश से भारत पहुंचे थे। तब दि. 06 मार्च 2020 को विदेशों से आने वाले लोगों का जांच देश मे प्रारंभ किया गया। दि. 08 मार्च 2020 को 100 देशों में 100,000 कोरोना वायरस मरीजों की पहचान हो चुकी थी। दि. 10 मार्च 2020 तक भारत में 50 नागरिक कोरोना वायरस से पीड़ित थे, जो अगले 04 दिनों में दोगुने हो गए। दि. 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। दि. 12 मार्च 2020 को 76 वर्षीय एक व्यक्ति की कर्नाटक में मृत्यु हुई। तब दि. 13 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक की सभी वीजा भारत ने रद्द किया। दि. 13 मार्च 2020 को उड़ीसा ने इसे विपत्ति कारक रोग करार दिया परंतु, भारत की केंद्र सरकार ने इसे कोई दहसत या कोई चिंता की बात नहीं कहते हुए स्वास्थ्य- आपातकाल या लॉकडाउन नही लगाया।दि. 15 मार्च 2020 तक केरल में 100 ब्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए, जो अगले 05 दिनों में दोगुने हो गए। दि. 16 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के थियेटर, नाईट कल्ब वगैरह पर प्रतिबंध लगाया। दि. 17 मार्च 2020 को करीब 500 संक्रमित मरीज पाए गए। दि. 20 मार्च 2020 को आई.सी.एम.आर. (I.CMR) ने बताया कि जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय यात्राएं नहीं भी की है, वह भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। दि. 22 मार्च 2020 को सरकार ने जनता की स्वेच्छा से "जनता कर्फ्यू" लगाया/ लगवाया और दहशत की बात बताते हुए दि. 25.03.2020 से लॉकडाउन की अचानक घोषणा (जनता को पहले बिना सुचना दिए) 24 मार्च को रात्रि में किया कि जो जहां है, जिस भी हालत में है, वहीं रहेंगे। प्रारंभ में सिर्फ 21 दिनो का लॉकडाउन था।

लॉकडाउन चार चरणों में लगाई गई:

प्रथम चरण- दि. 25-03-2020 से 14-04-2020-------21 दिन

दितीय चरण- दि. 15-04-2020 से 03-05-2020-------19 दिन

तृतीय चरण- दि. 04-05-2020 से 17-04-2020-------14 दिन

चतुर्थ चरण- दि. 18-05-2020 से 31-05-2020--------14 दिन

इसके पश्चात लॉकडाउन में थोड़ी छूट देने हेतु निम्नानुसार अनलाक की गई:

प्रथम चरण – दि. 01-06-2020 से 30-06-2020------ 30 दिन

दितीय चरण- दि. 01-07-2020 से 31-07-2020----- 31 दिन

तृतीय चरण- दि. 01-08-2020 से 31-08-2020------ 31 दिन

चतुर्थ चरण- दि. 01-09-2020 से 30-09-2020------- 30 दिन

पंचम चरण- दि. 01-10-2020 से 31-10-2020— अभी भी यह अनलॉक पीरियड चल रहा है। लॉकडाउन में निम्न प्रकार प्रतिबंध लगाया गया:

(1) दि. 25.03.2020 से सभी प्रकार के आवागमन सेवा/ परिवहन सेवा, ट्रेन सेवा, जहाज सेवा, दुकान, वगैरह (किराना, दवा, एवं आपात सेवा छोड़कर) बंदकर दिया गया है, एवं जो जहांहै जिस प्रकार है, उसी प्रकार उसी हालत में रहेंगे का सिद्धांत पालन करने के लिए कहा गया।

(2) सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं (कारखाना, खान, आफिस सहित) को बंद कर दिया गया, पर घर से काम करने की छूट दी गई।

(3) सरकार ने कर्मचारियों को वेतन देते रहने का आदेश प्रारम्भ मे दिया परंतु बाद मे वापस ले लिया।

(4) दि.27.03.2020 को बिहार सरकार ने कहा कि लॉकडाउन मे प्रवासी मजदूरों का रहने तथा भोजन की व्यवस्था अपने स्तर से सरकार कर रही है एव इसके लिए स्थानिक आयुक्त दिल्ली से संपर्क करने के लिए टेलिफोन संख्या एवं अन्य सम्पर्क संख्याओं को भी दिए गए। परंतु मीडिया और प्रवासी मजदूरों का स्पष्ट कहना है कि उन पर कोई बातचीत करना संभव नहीं हो पाया, जबकि दिल्ली कंट्रोल रूम का दावा है कि वह 31.03.2020 तक 2.85 लाख प्रवासी बिहारियों को सहायता पहुंचाया है।

आकृति–3: ट्रक में तिरपाल के अंदर मजदूर[8]

आकृति–4: बसों में मजदूर[9]

आकृति–5: 14 दिनो का एकांतवास[10]

लॉकडाउन से प्राइवेट संस्था बंद हो गए। वे जानते थे कि बिहारी मजदूरों के बिना उनके संस्थान/ फैक्ट्री नहीं चल पाएंगे, फिर भी वे दगा दिए और मजदुरो को कहा कि तुम लोग घर जाओ। वे सरकार के वेतन देने का आदेश का पालन नहीं किए बल्कि बकाया वेतन भी कर्मचारियों को देने से इनकार कर दिए। काम बन्द होने एव बकाया वेतन वेतन और दिहाड़ी नहीं मिलने के कारण लाखों की संख्या में कार्यरत मजदूर और कर्मचारी कार्य विहीन हो गए और आर्थिक तंगी से भूखे मरने लगे। भयानक स्थिति हो गई। जब कोई उधर की ओर जाता था तो उनसे प्रवासी मजदूर लोग उनसे पूछने लगे, कि क्या मेरे लिए आप लोग खाना लाए हो। दिल दहला देने वाला हालत हो गया। वे सोचने लगे कि मकान का किराया कैसे देंगे और वे क्या खाएंगे? विपत्ति के समय यह साधारण बात है कि लोग अपने घरों को जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और घर जाकर ही उन्हें आराम प्रतीत होता है। वे अपने घर जाने के लिए मजबूर हो गए। परंतु केंद्र सरकार ने दिनांक 27.03.2020 को आदेश निकाला कि कोई प्रवासी मजदूर अपने जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे। मजदूर लोग इसका विरोध करते हुए अनेकों प्रदर्शन किए और किसी-किसी प्रकार अपने घर की ओर प्रस्थान किए। इसके बावजूद भी जब उन्हें कोई परिवहन सुविधा प्राप्त नहीं हुई तो वह अपने घर जाने के लिए अधिकांश मजदूर हजारों मील पैदल (अंजाम का परवाह किए बिना) अपने कार्य-क्षेत्र से गृह-क्षेत्र माथे पर बोझ लेकर, महिलाएं गोद में बच्चा लेकर, बूढ़ों या

माता-पिता को साइकिलों पर लादकर ले जाने को मजबूर हो गए। मनुष्य का स्वभाव है कि जब भी वह ऐसी मुश्किल मे पडता है और क्या करे क्या ना करे, कुछ नही सूझता, तो वह घर की ओर चल देता है। एक पत्रकार ने जब मुम्बई से आ रहे एक बिहारी मजदूर-झुण्ड से पुछा कि-इतनी दूर झुण्ड मे पैदल कैसे जाएगे', जबकि कोरोना से बचने के लिये एक-दूसरे से दूरी बनाना/ रखना आवश्यक है। तो जवाब मिला कि भूख से मरने से अच्छा है, बिमारी से ही मर जाए"। स्पष्ट है कि बिहार सरकार अपने प्रवासी मजदूरों के खाने रहने और लाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सकी। बिहार के डीजीपी ने तो दि 30.03.2020 को बयान तक दे दिया कि जो बिहार आ गया वह आ गया, अब किसी को नहीं आने देंगे।[11] कुछ युवा मजदूर अपने बूढों और अपने माता-पिता को कंधे पर बिठाकर अपने गृह क्षेत्र चलते बने, वह चाहे जितना दिन में पहुंचे। कई रास्ते मे मरे। कुछ राज्यों ने/ कुछ गावो ने/ कुछ इलाको नेअपने क्षेत्र में उनके प्रवेश करने पर रोक लगा दिया, तो दुसरी ओर कुछ खाना भी खिलाए। मीडिया ने एक प्रवासी मजदूरों के झुंड से प्रश्न किया कि पी.एम. ने मना किया और सी.एम. ने रोका तो फिर क्यों निकले तो जवाब आया कि कोरना से पहले परदेश में तो भूखे मर जाते। तमिलनाडु से लोंगो ने सूचना दिया कि वहां भूखे लोगों को लोग खाना दे रहे हैं, परंतु बिहारियों को नहीं। इन सब के कारण सैकड़ों मजदूर और उनके लोग मरे।मीडिया के अनुसार प्रवासी मजदूरों में करीब 350 लोग मर गए। इनमें से कुछ भूख से, कुछ ट्रेन के द्वारा कटकर, तो कुछ सुसाइड कर और कुछ तो लोगों के द्वारा उन पर हमला करने से मरे। बाद में आने की अनुमति दी गई और कुछ बस और कुछ लेबर ट्रेन खोले गए, परंतु उसमें इतनी पाबंदियां लगाई गई और उसके पोर्टल अंग्रेजी में लिखे गए, जिसे मजदूर लोग समझ नहीं पाए। रेल एव बस में इतनी पाबंदियां लगाई गई कि अधिकांश मजदूर उन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सके। कुछ ट्रक में तिरपाल के अंदर (आकृति–03[8]), तो कुछ दूधवाले टैंकर में छिपकर अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे और कुछ को टैंकर में छिप कर जाते समय पुलिस ने पकड़ भी लिया। बाद मे लेवर ट्रेन/ बसे खोले गए। परन्तु उस पर चढ़ने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए और बहुत सारे प्रमाण मांगे जाने लगे, और कुछ को स्लम से बाहर जाने पर रोक लगा दिया,तो कुछ को ट्रेन पर सवार नही होने दिया गया, जिसके कारण अधिकांश मजदूर इस ट्रेन का उपयोग नहीं करपाए। वे "मुझे घर जाने दो"[12] का नारा लगाते भीड़- भाड़ लगाने और प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस उन्हे लाठियों से पीट्ने लगी, अश्रु गैस छोड़े जाने लगे। मुबई के बान्द्रा मे तो सिर्फ 23 मिनट मे लाखो लोग एकत्रित हो गये थे। दूसरे शब्दो मे बडे शहरो के स्लमो मे मजदूरो को वही भुखे रहकर मरने के लिए मज़बुर किया गया/ किया जाने लगा। किसी किसी तरह बिहार की सीमा तक आ जाने के बाद भी सरकार उन्हें बसों/ सवारियों की उचित व्यवस्था नहीं दे सकी और झुंड से भी खतरनाक स्थिति में अपने गृह क्षेत्र में बसों (आकृति –03, 04)[8,9] और ट्रकों पर लद कर पहुंचे।

आकृति–6: एकांतवास में फांसी[13]

माह अप्रैल 2020 के अंत में बिहार सरकार ने हालत में काफी सुधार किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाद मे काफी बिरोध के बाद स्थिति कुछ सुधरी। इस तरह के समाचारो से समाचार पत्र भरे है। लोकसभा मे यह प्रश्न पूछने के बाद कि कितने मार्च/अप्रिल 2020 के देनिक समाचार पत्र इस मजदूर मरे, तो सरकार ने साफ कहा कि राज्यवार इसकी सूची नही है। सरकार ने कभी नही कहा कि देशवार या क्षेत्रवार उनके पास सूची है। सरकार ने कोई सूची नही दी। मरते-पछड़ते घर पर आने पर एक से एक बहुत सारी दिक्को का सामना उन्हे करना पड़ा। उन्हे 14 दिनो के एकांतवास मे जाना पड़ा। बिहार सरकार के अनुसार एकांतवास में खाने ठहरने इलाज की पूरी व्यवस्था है एवं थी, परंतु मजदूरों कहना है यहा कोई व्यवस्था नहीं थी (आकृति –05)[10]। कुछ तो एकांतवास में फांसी (आकृति –06)[13] तक लगा लिए। राहत कैंप में रहने वाले अपने घर जाने के लिए गुहार लगाने लगे। स्थिति यह हो गई कि जो लोग कंट्रोल रूम को सूचना दिए कि अमुक प्रवासी मजदूर घर पहुंच गया है, उसे ही लोग पीटने लगे। कुछ को रास्ते मे भी एकांतवास मे जाना पड़ा था। मास्क पहनने के लिए कुछ मास्क बाटे गए पर 02 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु कुछ भी नही किया

गया, जबकि सरकार को मजदूरो के निवास की हालत की जानकारी अच्छी तरह है/थी। लुभावने कल्याणकारी राहतो की घोषणा की गई। कुछ राहते ठीक थी/है तो कुछ अनुपयोगी। सरकार ने रजिस्टर्ड निर्माण कार्यो से जुडे मजदूरो के खाते मे सीधे पैसा डालने का निर्णय लिया, ठीक है; पर प्रवासी मजदूर/ साधारण स्लम निवासी इसका फायदा नही ले सके। साथ ही जो मजदूर निर्माण कार्यो से नही जुडे है/ थे, उनको इससे कोई फायदा/ अंतर नही आता है। जनधन खाताधारी को प्रतिमाह रु.500/- की सहायता तीन माह तक दी गयी। प्रवासी मजदूर प्रतिमाह रु.4,000/- तक कमा रहे थे, तब भी उनकी हालत दयनीय थी। तो उक्त सरकारी सहायता मरते को एक तिनका का सहारा जरुर है, पर उचित नही। उज्ज्वला योजनावालो को तीन गैस सिलेण्डर मुफ्त मे दिए गए। इसका फायदा वे लिए। स्वय सहायता समूह मे कर्ज की राशि रु.10,00,000/- से बडाकर रु.20,00,000/- का लाभ शायद ही प्रवासी मजदूर ले पाएगे; हालाकि कुछ ही स्थानीय स्लम निवासी इसका लाभ ले पाए, चुकि लॉकडाउन मे बैक अपने कार्यालय मे लोगो को घुसने तक नही दिए। बी.पी.एल. कार्डधारीगणो को मुफ्त मे 05 किलो अनाज और 01 किलो दाल दिए गए। इसका लाभ स्थानीय स्लम निवासी को जरुर मिला। कुछ प्रवासी मजदूर भी इसका लाभ लिए, जिनका नाम स्थानीय कार्ड मे था। बिहार सरकार मजदूरो को मनरेगा मे नियोजित करनी चाहती है और कहती है कि उसने मनरेगा मजदूरो (स्लम सहित) को प्रतिदिन मजदुरी रु.182/- से बढ़ा कर रु.202/- कर दिया, जो एक छलावा है। उल्लेखनीय है कि, साधारणत: मजदूरो की अभी प्रतिदिन उक्त मजदुरी रु.400/- से उपर है और मनरेगा मे मजदूरो (स्लम सहित) को प्रतिदिन वह मजदुरी नही देकर अन्याय किया जाता है, जो जारी रहा और जारी है; ऐसी हालत मे मजदूर मनरेगा मे कैसे काम करेंगे? अभी भी वे प्रवासी मजदूर (स्लम) बेरोजगार है। स्थानीय स्लम निवासी या प्रवासी मजदूरो के नियोजन की कोई बड़ी कार्य योजना अभी तक धरातल पर नही आई है। वर्तमान में भी उन लोगों में से अधिकांश बेरोजगार बैठे हैं या छोटे- मोटे काम करते है, जिससे उनका (मानव संसाधन का) देश की प्रगति में उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं नहीं हुआ और दुसरी ओर उन लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। अगर शीघ्र ध्यान नही दिया गया, तो इन सबसे फिर नई समस्या खड़ी हो जाएगी।

दुष्प्रभाव एवं निदान

भारत ने बिना पूर्व तैयारी के लॉकडाउन लगाया और इसके गैर-इरादतन दुष्परिणाम भारत को भोगने के लिए तैयार होना पड़ा एवं पड़ेगा। सरकार ने गरीबो के बीच सामाजिक दुरी बनाए रखने की कोइ व्यवस्था नही की। गरीबों का कहना है कि भूख से मरने से अच्छा है, महामारी से मरे और उन्हें रोजी-रोटी की आवश्यकता है। सरकार असीमीत अवधि तक किसी की सहायता नहीं कर सकती है। नोट छापकर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना पूर्णत: गलत होगा, क्योंकि इससे दूसरे देशों का भारतीय संसाधन पर कब्जा बढ़ जाएगा। एक तरफ मजदूर मजदूरी-विहीन हैं तो दूसरी ओर सरकारी कर्मचारीयो को बिना काम का पूर्ण वेतन धड़ल्ले से उपलब्ध है। यह अमीरी और गरीबी के बीच में खाई को ज्यादा चौड़ी की है और असमानता बढ़ा रही है। मानव संसाधन को निष्क्रिय कर या बैठाकर रखना भी किसी दृष्टि से उचित नहीं है। उसे मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाएगी। इसके लिए सभी गतिविधियों उचित तरह से चालू करना होगा, मजदूरों को उचित सुरक्षा एवं उचित गारंटी भी देनी होगी और साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों पर टैक्स बढ़ानी होगी एव उनके वेतन पर फिर से विचार करना होगा। जनता के प्रतिनिधियो के वेतन/ सुविधा को शीघ्र हटानी/ घटानी होगी।

निष्कर्ष

उपरोक्त आंकड़े एवं उपरोक्त किए गए संक्षिप्त विश्लेषण यह बताता है कि सरकार की जानकारी मे था कि इस वायरस का प्रकोप संसार मे दिसंबर 2019 से चल रहा है और भारत जनवरी 2020 से प्रभावित है, फिर भी कई संक्रमण और कई मृत्यु के बाद सरकार ने विना कोइ पूर्व सूचना दिए और स्लम लोगो/ मजदूरो के खाने-पीने, किराया भुगतान तथा घर जाने की विना उचित व्यवस्था ससमय किए ही दि. 25.03.2020 से अचानक लॉकडाउन लगाया। एकांतवास में भी उचित व्यवस्था का अभाव रहा। किसी-किसी तरह घर आने पर भी उन्हे उचित व्यवस्था ससमय नही दिए गए और उन मानव संसाधनो का देश की प्रगति में उचित उपयोग नही किया गया और नही किया जा रहा है, इससे उनलोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। अगर शीघ्र ध्यान नही दिया गया, तो इन सबसे फिर नई समस्या खड़ी हो जाएगी। सरकार को अतिशीघ्र गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सभी आर्थिक गतिविधियां मुख्यत बंद हैं इससे देश की प्रगति बाधित है। भारत ने जिन आर्थिक उपायों

की घोषणा की है, वह नगण्य है। अभी तक कच्चा माल (सामग्री) उपलब्धता के आधार पर निवेश करते हुए फैक्ट्रियां खोली जाती थी। अब उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उपलब्ध मानव संसाधन क्षेत्र में फैक्ट्रियां खोली जाए। साथ ही नियोजित करने के पूर्व मजदूरों के निबंधन की प्रक्रिया पूरी करने हेतु अपने अधिकारियों एवं कंपनियों को उचित दबाव् में सरकार को रखना होगा। कंपनियों पर यह दबाव डालना होगा कि अगर एक वर्ष से अधिक समय से कोई कार्य कर रहा है तो उसे कम से कम एक कमरे का फ्लैट मुफ्त उपलब्ध करावे। इससे स्लम बनने की प्रक्रिया भी बंद होगी और फैक्ट्री भी सुचारू रूप से चलेगी। मजदूरों को नेशनल राशन कार्ड् देना और जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना वीमा देना होगा। मजदूरों को विश्वास में लेना होगा।अगर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और विकराल होने की संभावना हो सकती है।जनता के प्रतिनिधियो के वेतन/ सुविधा को शीघ्र हटानी/ घटानी होगी।साथ ही खेती को घाटा-छेत्र से मुक्ति दिलाकर उसे लाभकारी बनाना होगा, ताकि मजदुर प्रवासी नही बने।

सन्दर्भ

1. UN-Habitat (2003). The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements. ISSN: 978-1-84407-037-4,
2. Report of Committee on Slum statistics / census (2010). GOI, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. NBO dt. 30.08.2010
3. Census India and China (2011). Population of India and China. https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/population and https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/population
4. GOI, Ministry of Home Affairs (2011). Population of India. censusindia.guv.in.india-at-glance and www.censusindia.gov.inCC
5. (a). Late Sylvia Browne with Lindsay Harrison (2008). End of Days. Penguin Group (USA) Inc. (b). संवाददाता (2020). Dainik Bhaskar. Hindi, Daily News Paper, Patna, India. Date 01.04.2020, Page no. 08.
6. (a). Amitab Kundu and Lopamudra Ray Saraswati (2012). Migration and Exclusionary Urbanisation in India. Economic & Political Weekly, 47(26-27), 2349–8846. (b). Amitabh Kundu (2019). Migration Trends and Vulnerable Population. Handbook of Internal Migration in India, Saga Publications Pvt. Ltd. 2019/11/01.
7. COVID-19 lockdown in India (2020). Pandemic lockdown in India.
8. केदार प्रसाद सिंघल (2020). दिल्ली से ट्रक में छुप खगड़िया जा रहे 400 मजदूरों को पुलिस ने रोका, अस्पताल भेजा. DainikBhaskar.com, p13, 2020 मार्च 31
9. केदार प्रसाद सिंघल (2020). दो दिनों में 40 हजार से अधिक लोग दिल्ली से पहुंचे, अब इन्हे क्वारेटाइन में रखना बड़ी चुनौती. DainikBhaskar.com, p05
10. केदार प्रसाद सिंघल (2020). क्वारेटाइन शिविरों में कुव्यवस्था एक दिन बाद ही 41 मजदूर भागे. DainikBhaskar.com, p11, 2020 मार्च 31.
11. केदार प्रसाद सिंघल (2020). जो बिहार आ गया- आ गया, अब किसी को नहीं आने देंगे. DainikBhaskar.com, p11
12. केदार प्रसाद सिंघल (2020). दरभंगा के क्वारेटाइन सेंटर में ही फांसी लगाकर मजदूर ने जान. DainikBhaskar.com, p13., 2020 अप्रैल 14.